

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.18(1)साप्र/2/22

-: आदेश :-

जयपुर, दिनांक : 01 FEB 2024

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'एच' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नांकित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वरियता क्रमांक	नाम एवं पदनाम आवंटी	सेवानिवृत्ति दिनांक	प्रस्तावित राजकीय आवास एवं विभागीय टिप्पणी
1.	09/2008	श्री ओम प्रकाश सैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर।	30.06.2033	एच-504, गांधीनगर
2.	61/2012	श्री महेश चन्द्र शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्या. रेलवे कोर्ट, जयपुर महानगर, जयपुर।	28.02.2037	एच-582, गांधीनगर
3.	24/2013	श्री गोविन्द कुमार शर्मा सहायक कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट कार्या. जयपुर	30.11.2040	एच-508, गांधीनगर
4.	70/2017	श्रीमती मंजू शर्मा लिपिक ग्रेड-1 युवा मामले एवं खेल विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2049	एच-906, गांधीनगर
5.	25/2013	श्रीमती तारा देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर	28.02.2031	एच-534, गांधीनगर
6.	26/2013	श्री ओमप्रकाश मीणा सहायक कर्मचारी संभाग मूल्यांकन कार्यालय मिनी सचिवालय जयपुर	31.01.2034	एच-549, गांधीनगर
7.	29/2013	श्री कैलाश चंद मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर जयपुर	30.09.2034	एच-553, गांधीनगर
8.	97/2017	श्रीमती बीना कुमारी मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.06.2035	एच-562, गांधीनगर
9.	30/2013	श्री उमेश मेहता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, जेकब रोड जयपुर	30.04.2031	एच-563, गांधीनगर
10.	31/2013	श्री पूरण मल चौधरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण जयपुर	31.10.2035	एच-573, गांधीनगर
11.	32/2013	श्री पप्पू लाल गुर्जर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण जयपुर	31.10.2035	एच-577, गांधीनगर

Signature valid

Digitally signed by Har Sahay
Meena
Designation: Joint Secretary
Date: 2024.01.31 8:25:38 IST
Reason: Approved

12.	103/2017	श्री महादेव चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.07.2039	एच-678, गांधीनगर
13.	33/2013	श्री मूलचंद्र गढवाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जयपुर	31.08.2030	एच-579, गांधीनगर
14.	34/2013	श्री भंवर सिंह सोलंकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहकारिता विभाग जयपुर	31.07.2027	एच-586, गांधीनगर
15.	35/2013	श्री पुखाराम देवासी वाहन चालक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर	31.07.2035	एच-589, गांधीनगर
16.	105/2017	श्री प्रेमचन्द्र सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.6.2050	एच-592, गांधीनगर
17.	39/2013	श्री राजेश सिंह विष्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मोटरवाद दुर्घटना दावा अधिकरण जयपुर	31.01.2041	एच-596, गांधीनगर
18.	40/2013	श्री प्रवीण माथुर पैकर कार्यालय अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर	31.03.2027	एच-651, गांधीनगर
19.	41/2013	श्री जगमोहन बैरवा बन्धक-11 श्रेणी कार्यालय अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर	30.06.2028	एच-654, गांधीनगर
20.	106/2017	श्रीमती कल्पना पाण्डे लिपिक ग्रेड-11 गृह (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.10.2044	एच-656, गांधीनगर
21.	42/2013	श्री गोपाल लाल गुर्जर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय न्यायाधीश मोटर वाद दुर्घटना दावा अधिकरण जयपुर शहर जयपुर	30.09.2029	एच-659, गांधीनगर
22.	43/2013	श्रीमती मंजू कंवर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी अभियोजन जयपुर	31.10.2041	एच-855, गांधीनगर
23.	44/2013	श्री देव नारायण वर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग जयपुर	31.07.2055	एच-865, गांधीनगर
24.	107/2017	श्री मुकेश कुमार सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कृषि (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	30.11.2039	एच-882, गांधीनगर

Signature valid

Digitally signed by Har Sahay
Meena
Designation: Joint Secretary
Date: 2024.01.31 18:25:38 IST
Reason: Approved

25.	46/2013	श्री विजय कुमार बेरवा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्या0 अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा. अभियांत्रकी विभाग डिजाइन अनुसंधान आयोजना एवं परियोजना वृत्त जयपुर	30.04.2025	एच-886, गांधीनगर
26.	47/2013	श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्या0 आहरण एवं वितरण अधिकारी राजकीय जयपुरिया हास्पिटल जयपुर	30.09.2031	एच-888, गांधीनगर
27.	48/2013	श्री मूल सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्या0 न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण जयपुर शहर जयपुर	31.07.2030	एच-892, गांधीनगर
28.	108/2017	श्री कन्हैयालाल शर्मा लिपिक ग्रेड-1A कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर	31.01.2052	एच-894, गांधीनगर
29.	49/2013	श्री नेहनूराम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्या निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला राज. जयपुर	31.07.2033	एच-897, गांधीनगर
30.	50/2013	श्री भगवान सिंह शेखावत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्या0 मुख्य अभियन्ता एवं तकनीकी सदस्य, राज. जलप्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल जन स्वा. अभि.विभाग जयपुर	30.06.2040	एच-902, गांधीनगर
31.	52/2013	श्रीमती सीमा चौधरी वन रक्षक कार्या उप वन संरक्षक, चिडियाघर जयपुर	31.08.2043	एच-903, गांधीनगर
32.	109/2017	श्री राम सिंह लिपिक ग्रेड-1A कार्मिक (ख-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.08.2039	एच-905, गांधीनगर
33.	55/2013	श्री रामचन्द्र मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्या न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-19, जयपुर महानगर जयपुर	30.06.2029	एच-907, गांधीनगर
34.	1/2014	श्री पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राज0 जयपुर	30.06.2047	एच-908, गांधीनगर
35.	2/2014	श्री जगमोहन वर्मा वाटर मैन कार्या0 उप निदेशक, पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक पशुपालन विभाग जयपुर	30.11.2037	एच-911, गांधीनगर
36.	110/2017	श्री दुर्गालाल भील लिपिक ग्रेड-1 वित्त (राजस्व) विभाग, शासन	31.12.2047	एच-913, गांधीनगर

Signature valid

Digitally signed by Har Sahay
Meena

Designation: Joint Secretary
Date: 2024.01.31 18:25:38 IST
Reason: Approved

		सचिवालय, जयपुर		
37.	3/2014	श्री साहब सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राज. महिला पौली. महाविद्यालय गांधीनगर जयपुर	29.02.2041	6/6, गांधीनगर

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूंकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. हर सहाय मीणा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग/ कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/ अभियोजन विभाग/ अल्पसंख्यक मामलात विभाग/ राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला/ पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. अति. जिला कलक्टर, जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. अधीक्षक, राज्य केंद्रीय मुद्रणालय/ राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. उपायुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग/ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, संभाग मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

Signature valid

Meena
Designation : Joint Secretary
Date: 2024.01.31 8:25:38 IST
Reason: Approved

8. प्रभारी अधिकारी(संस्थापन), जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ मोटरवाद दुर्घटना दावा अधिकरण/ न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-19, जयपुर महानगर/ रेलवे कोर्ट, जयपुर महानगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. पंजीयक, जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण/ सहकारिता विभाग/ सहकारी समितियां, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग/राज. जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. उप वन संरक्षक, चिडियाघर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. प्राचार्य, राज. महिला पॉली. महाविद्यालय गांधीनगर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
13. जिला आबकारी अधिकारी, अभियोजन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
14. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
16. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
17. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
18. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
19. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
20. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
21. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
22. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
23. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
24. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

RajKaj Ref
5445246

Digitally signed by Har Sahay
Meena
Designation: Joint Secretary
Date: 2024.01.31 18:25:38 IST
Reason: Approved